

राजस्थान न्यायिक सेवा

- ☞ शैक्षणिक योग्यता - एल एल०बी०
- ☞ आयु सीमा - अधिकतम 40 वर्ष
- ☞ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट)



राजस्थान न्यायिक सेवा का कार्यक्रम

1. सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती प्राधिकरण द्वारा दो चरणों में कराई जायेगी - प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा, जैसा की अनुसूची 4 में बताया गया है मुख्य परीक्षा में योग्य पाये गये उम्मीदवारों के प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्तांकों को अंतिम चयन सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।
2. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाले रिक्तियों (श्रेणीवार) की कुल संख्या से 15 गुना होगी, लेकिन उक्त श्रेणी में वे सभी उम्मीदवार शामिल होंगे जो भर्ती प्राधिकरण द्वारा तय अंकों के बराबर प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे।
3. मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, रिक्तियों की कुल संख्या (श्रेणीवार) के तीन गुना की सीमा तक के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे :

परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा तीन चरणों में होगी-

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) | 100 अंक |
| 2. मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ) | 300 अंक |
| 3. साक्षात्कार | 35 अंक |

प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें विधि प्रश्न-पत्र I तथा विधि प्रश्न-पत्र II के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को 70% महत्व दिया जाएगा और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता का परीक्षण करने के लिए 30% महत्व दिया जाएगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :

1. **विधि :** वैसा जैसा कि मुख्य परीक्षा के लिए विधि प्रश्न-पत्र I और II निर्धारित किये गये हैं।
2. **हिन्दी ज्ञान :**
 - शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
 - शब्द शुद्धि।
 - व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ।
 - शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्दों को विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंध बची शब्दावली।
 - परिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विविध (विशेषतः)।
 - विराम चिन्हों का प्रयोग।
 - मुहावरे / लोकोक्तियाँ।
 - वाक्य रचना।
 - वाक्य शुद्धि।
 - शब्द रचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
3. **अंग्रेजी ज्ञान :**
 - (i) Tenses
 - (ii) Articles and Determiners
 - (iii) Phrasal Verbs and Idioms
 - (iv) Active & Passive Voice
 - (v) Co-ordination & Subordination
 - (vi) Direct and Indirect Speech
 - (vii) Modals expressing various concepts - (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
 - (viii) Antonyms and Synonyms.
 - (ix) Legal Maxims

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

क्र.सं.	विषय	प्रश्न-पत्र	अंक	समयावधि
1.	विधि	I	100	3 घण्टे
2.	विधि	II	100	3 घण्टे
3.	भाषा	I. हिन्दी निबंध II. अंग्रेजी निबंध	50 50	2 घण्टे 2 घण्टे
4.	साक्षात्कार	—	35	—

मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम

विधि प्रश्न-पत्र-I : भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, राजस्थान भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2001, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, परिसीमा अधिनियम, 1963, विधियों का निर्वचन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आदेश/निर्णय लेखन। पेपर उम्मीदवार के सिविल विधि और प्रक्रिया के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे—ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, विवाद्यकों की विरचना, निर्णय लेखन इत्यादि (सिविल मामले में)।

विधि प्रश्न-पत्र-II : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय XVII), घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और आरोप विचरित करना / निर्णय लेखन / — प्रश्न-पत्र उम्मीदवार के दाण्डिक विधि और प्रक्रिया के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे — दाण्डिक मामले में आरोपों की विरचना तथा निर्णय लेखन।

भाषा प्रश्न-पत्र-I : हिन्दी निबन्ध — हिन्दी भाषा में निबंध लिखना।

भाषा प्रश्न-पत्र-II : अंग्रेजी निबन्ध — अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना।

साक्षात्कार

एक उम्मीदवार का साक्षात्कार, सेवा के लिए नियुक्ति के लिए उपयुक्तता स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में उसके रिकार्ड के संदर्भ में और उसके चरित्र, व्यक्तित्व, पते और कार्य के संबंध में परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न जो उसके लिए रखे जा सकते हैं, एक सामान्य प्रकृति के हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि यह अकादमिक या कानूनी हो। उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें करेंट अफेयर्स और वर्तमान समय की समस्याओं का ज्ञान भी शामिल होगा। उम्मीदवारों को राजस्थानी बोलियों में प्रवीणता और राजस्थान के सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में उनके ज्ञान के लिए अंक प्रदान किया जाएगा। इस अंक को प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गये अंकों में जोड़ा जाएगा।